ResearchPro International Multidisciplinary Journal

Vol- 1, Issue- 2, October-December 2025 ISSN (O)- 3107-9679

Email id: editor@researchprojournal.com Website- www.researchprojournal.com

शिक्षा का अधिकार अधिनियम और सामाजिक समावेशनः बेगूसराय में हितधारकों की दृष्टि से मूल्यांकन

चंदन कुमार

शोधार्थी (जेआरएफ), स्नातकोत्तर, राजनीति विज्ञान विभाग, बी. एन. मंडल विश्वविद्यालय, मधेपुरा।

सारांशः प्रस्तुत शोध पत्र का उद्देश्य बिहार के बेगूसराय जिले में शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के तहत सामाजिक समावेशन (Social Inclusion) की स्थिति का मूल्यांकन करना है। यह अध्ययन 25% आरक्षित सीटों के माध्यम से निजी स्कूलों में वंचित बच्चों के दाखिले, उनके समावेशन के अनुभवों, और हितधारकों (अभिभावक, शिक्षक, स्कूल प्रबंधन) के दृष्टिकोण पर केंद्रित है। शोध के अनुसार, नामांकन में वृद्धि हुई है, लेकिन 'सामाजिक समावेश' अभी भी एक चुनौती बना हुआ है।

शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (RTE) भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21। के तहत 6–14 वर्ष के बच्चों के लिए निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा सुनिश्चित करता है। इसका एक प्रमुख उद्देश्य निजी स्कूलों में 25ः आरक्षण (धारा 12(1)(ब)) के माध्यम से सामाजिक–आर्थिक रूप से वंचित बच्चों को मुख्यधारा की शिक्षा में शामिल करना है। बेगूसराय, बिहार में इस अधिनियम के कार्यान्वयन का मूल्यांकन हितधारकों (अभिभावक, शिक्षक, स्कूल प्रशासन, प्रशासनिक अधिकारी) की दृष्टि से मिश्रित परिणाम प्रस्तुत करता है।

कुँजीः समावेशन, शिक्षक, चुनौती, प्रशासन, परिणाम।

प्रस्तावनाः 'विश्व में सर्वाधिक निरक्षर भारत में रहते हैं' जैसे अभिशाप से देश को मुक्ति दिलाने का निःशुल एवं अनिवार्य शिक्षा पाने का अधिकार अन्ततः 1 अप्रैल, 2010 को एक वास्तविकता बन गया है। सन 2002 में संविधान के 86 वें संशोधन से शशिक्षा पाने के अधिकार' को मौलिक अधिकारों में शामिल करने के लिए सन् 2009 में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा पाने का अधिकार अधिनियम, 2009 पारित किय गया। इस प्रकार अब भारत में 6–14 वर्ष की आयु वर्ग के सभी बच्चे विधिक तौर पर निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा पाने के हकदार हैं।

शिक्षा का अधिकार अधिनियम जिसमें संविधान के 86वें संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा 21 क जोड़कर शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया है, के द्वारा राज्य को यह कर्त्तव्य सौंपा गया है। कि वह 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। शिक्ष अधिकार विधेयक को संसद ने 4 अगस्त, 2009 को मंजूरी प्रदान की तथा 1 अप्रैल, 2010 से शिक्षा क अधिकार कानून लागू किया गया। कानून के अन्तर्गत बच्चों को अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए अनेक प्रावधान किए गए हैं, जिसमें शिक्षकों को नियुक्ति देने सम्बन्धी प्रशिक्षण आवश्यक आधारभूत ढाँचे का विकास, निजी स्कूलों में बच्चों का प्रवेश देने सम्बन्धी आरक्षण, स्कूलों में मिड डे मील समेत अन्य आवश्यक सुविधाओं के विकास के लिए विशेष कदम उठाए गए है।

इस कानून के अनुसार शिक्षा के दायरे से बाहर छूट गए करोड़ों बच्चों को स्कूल में दाखिल दिलाना, हर बच्चे के पड़ोस में विद्यालय की व्यवस्था करना, हर विद्यालय को आर.टी.ई. में दिए गए मानक के आधार पर मान्यता लेने योग्य बनाना तथा मान्यता न होने पर दण्ड का प्रावधान, पैरा शिक्षव की नियुक्ति तथा नॉनफॉर्मल स्कूलों पर पाबन्दी, कानून में दिए गए मानक के आधार पर आधारभूत एवं सर्व सरचना उपलब्ध कराने योग्य व प्रशिक्षित

अध्यापकों की नियुक्ति तथा अप्रशिक्षित व अल्पवेतन भोगी अध्यापकों को प्रशिक्षित करने, फेल–पास प्रणाली से अलग बच्चों के लगातार सम्पूर्ण मूल्यांकन (सीसीई) महिलाओं की भागीदारी वाली स्कूल प्रबन्धन समितियों का जनतान्त्रिक तरीके से गठन व संचालन तथा आदि जैसे कदम तत्काल उठाने होंगे, साथ ही 75: अभिभावकों एवं कुल संख्या का पचास प्रतिशत उनके द्वारा स्कूल के लिए विकास योजना बनाने व निगरानी जैसी प्रगतिशील योजनाएँ तय की गई हैं। प्राइवेट स्कूलों में कुल बच्चों की संख्या का 25: पड़ोस की गरीब बस्तियों में रह रहे आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को दाखिला दिए जाने का प्रावधान किया गया है। प्राइवेट स्कूलों के प्रबन्धन ने एकजुट होकर उच्चतम न्यायालय की अदालत में इस प्रावधान को रदद करने की याचिका दाखिल की थी। मगर उच्चतम न्यायालय ने अप्रैल 2012 के आदेश के जरिए इस याचिका को खारिज कर दिया। हालांकि अदालत ने अनुदानरहित अल्पसंख्यक स्कूलों को कानून के दायरे से बाहर कर दिया। इन अल्पसंख्यक विद्यालयों में पढने वाले बच्चे कानून द्वारा दिए गए अन्य अधिकारों से भी वंचित हो जायेंगे। जबकि यह मौलिक अधिकार 6–14 वर्ष की उम्र के सभी बच्चों को हासिल है। संसद ने एक और संशोधन कर मदरसों व वैदिक विद्यालयों को भी इसके दायरे से बाहर कर दिया है। सरकारी स्कूलों को मजबूत करने की बजाय कानून को ही कमजोर बना देने की तमाम कोशिश जारी है व यह कानून तरह–तरह के राजनीतिक दबावों और समझौतों का शिकार होता जा रहा है। अतः इस कानून की सफलता के लिए अध्यापकों व अभिभावकों में जागरूकता फैलाना और उन्हें साथ लाना आवश्यक हो गया है जिसके लिए उन्हें इस अधिनियम से परिचित होना भी आवश्यक है।

अनुच्छेद 21–क और शिक्षा का अधिकार (Right to education – R.T.E.) 1 अप्रैल, 2010 से प्रभावी हुआ। आर. टी. ई. अधिनियम के शीर्षक में 'निःशुल्क एवं अनिवार्य' शब्द सम्मिलित है। निःशुल्क शिक्षा का अर्थ है किसी बालक को उसके माता–पिता सरकार द्वारा स्थापित विद्यालय से पृथक विद्यालय में प्रवेश दिलाते हैं, तो प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण करने पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए कोई दावा नहीं कर सकते। अनिवार्य शिक्षा शब्द से तात्पर्य सरकार द्वारा स्थापित विद्यालय में 6 से 14 वर्ष तक आयु के प्रत्येक बालक का अनिवार्य रूप से प्राथमिक शिक्षा में प्रवेश दिलाने, उपस्थिति तथा उसे (प्राथमिक शिक्षा को) पूर्ण करने को सुनिश्चित करने की बाध्यता से है।

सन् 2009 में आर. टी. ई. अधिनियम में निम्नलिखित प्रावधान हैं –

1. नजदीक के विद्यालय में प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण होने तक बालकों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। प्रारम्भिक शिक्षा से तात्पर्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना।
2. यह अधिनियम गैर दाखिल बच्चे की आयु के अनुरूप कक्षा में प्रवेश का प्रावधान करता है।
3. यह निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने तथा केन्द्र, राज्य एवं राज्य सरकारों के मध्य वित्तीय एवं अन्य उत्तरदायित्वों की भागेदारी में उपयुक्त संस्कारों, स्थानीय प्राधिकरण एवं अभिभावकों के कर्तव्यों एवं उत्तरदायित्वों को निर्दिष्ट करता है।
4. शिक्षक–छात्र अनुपात (Pupil-Teacher Ratio-PTR) भवन निर्माण, स्कूल के कार्य घंटों, शिक्षकों के कार्य घंटों से सम्बन्धित मानक एवं मानदंड निर्धारित करता है।
5. यह सुनिश्चित करता है कि निर्दिष्ट शिक्षक–छात्र अनुपात प्रत्येक स्कूल में लागू किया जाए तथा राज्य, जिला या ब्लॉक स्तर के पदों में ग्रामीण शहरी का सन्तुलन भी रखा जाए। यह शिक्षकों की तर्कसंगत नियुक्ति का प्रावधान करता है।

अधिनियम को लागू करने में चुनौतियां भारत सरकार द्वारा 4 अगस्त 2009 को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) पारित किया गया था। अनुच्छेद 21 (ए) के तहत 6–14 वर्ष के बीच के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना। शिक्षा का अधिकार अधिनियम को लागू करने में कुछ चुनौतियों का उल्लेख किया गया है जिनकी चर्चा नीचे की गई है–

ज्ञान की कमी– अधिकांश शिक्षक आरटीई अधिनियम के बारे में स्पष्ट नहीं हैं और वे इसे अपने व्यक्तिगत ज्ञान के आधार पर लागू कर रहे थे। शिक्षकों के लिए आरटीई अधिनियम के बारे में पूरी समझ होना बहुत जरूरी है, ताकि कार्यान्वयन के दौरान आने वाली बाधाओं को कम से कम किया जा सके। साथ ही, अधिनियम के बारे में ज्ञान उन्हें इसे समझने और अंततः स्थिति की आवश्यकता के अनुसार इसे लागू करने में मदद करेगा।

• प्रशिक्षण और पर्याप्त जानकारी का अभाव– अधिकांश शिक्षकों ने स्कूली शिक्षा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में आरटीई का स्वागत किया। अधिकांश शिक्षकों ने उत्तर दिया कि अधिनियम सभी के लिए शिक्षा सुनिश्चित

करता है। प्रशिक्षण की कमी और पर्याप्त जानकारी शिक्षकों द्वारा आरटीई अधिनियम के कार्यान्वयन में प्रमुख चुनौतियां हैं।

- स्पष्टता की कमी रू आज लगभग 50ः शिक्षकों ने जवाब दिया कि आरटीई अधिनियम अधिनियम के कार्यान्वयन के बारे में कोई स्पष्टता दिए बिना स्कूल और शिक्षकों की जिम्मेदारी बढ़ाता है। यह गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से समझौता करता है, जो संदिग्ध कार्यान्वयन की ओर ले जाता है। कार्यान्वयन के लिए दिशा–निर्देश उचित नहीं हैं और छात्रों के प्रतिधारण की उपेक्षा की जाती है।
- उच्च छात्र शिक्षक अनुपातरू शिक्षकों की एक अच्छी संख्या ने जवाब दिया कि स्कूलों में उच्च छात्र शिक्षक अनुपात था। इसलिए यह शिक्षकों को छात्रों पर व्यक्तिगत ध्यान देने से भी रोकता है। और यह गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के प्रभावों को भी बताता है। कुछ शिक्षकों ने अधिनियम में स्पष्टता का अभाव पाया। शिक्षकों ने जवाब दिया कि अधिकारियों को औरअधिक सक्रिय होने की आवश्यकता है और उन्हें प्रेरित किया जाना चाहिए ताकि वे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ा सकें।

अधिनियम की कमियाँ व चुनाव–

निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यह अधिनियम पारित किया गया। इसके अनुसार 6 वर्ष से 14 वर्ष के प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तायुक्त शिक्षा दी जायेगी, परन्तु अधिनियम के सूक्ष्म अवलोकन से इसकी सफलता पर संदेह है, संक्षेप में अधिनियम की कमियाँ व सुझाव निम्न प्रकार है :–

1. बच्चों के अनुपात में कक्षा–कक्ष की कमी, जिसके परिणामस्वरूप विद्यालयों को दो या तीन पारियों तक कक्षाएँ चलायी जाती हैं। पुराने विद्यालयों के भवन भी जर्जर अवस्था में है, जो कभी भी बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकते है। अतः इनकी संख्या बढ़ाने के साथ–साथ मौजूदा विद्यालय भवनों की मरम्मत भी करवाई जानी चाहिए।
2. आज भी कई गाँव ऐस हैं, जहाँ दूर–दूर तक विद्यालय नहीं है अतः ऐसे गाँवों का सर्वे कर विद्यालय बनाए जाए।
3. विद्यालय व आवासीय क्षेत्रों में दूरी गुणवत्तायुक्त शिक्षा प्राप्ति में बाधक है इसके लिए दूरस्थ क्षेत्रों में विद्यालय खोले जाएं तथा ऐसे क्षेत्रों में सरकार द्वारा उचित परिवहन साधनों की भी व्यवस्था उपलब्ध करानी चाहिए।
4. निजी विद्यालयों में जहाँ वातानुकूलित कक्षा–कक्ष, स्वीमिंग पूल तथा व्यायामशाला होती है, वहाँ सरकारी विद्यालयों में आधारभूत सुविधाओं का भी अभाव पाया जाता है। सरकारी विद्यालयों के बच्चे आज भी सूर्य की तपन व टपकती छत में पढ़ाई करते देखे जा सकते है। इससे इस शिक्षा जगत् के देश में दो भिन्न स्थितियाँ प्रकट होती हैं।
5. अधिनियम के अनुसार केवल कुछ पाठ्यपुस्तकों व पत्र–पत्रिकाओं से एक अच्छा पुस्तकालय बनता है, लेकिन इसमें आधुनिक शिक्षा की जरूरत के अनुसर कम्प्यूटर, इंटरनेट आदि सुविधाएं भी आवश्यक हैं।
6. अधिनियम में कुल शिक्षक पदों में से 10 प्रतिशत से अधिक किसी भी अवस्था में खाली नहीं रखे जाएंगे। परन्तु 10 प्रतिशत शिक्षकों के पद खाली रहने का खामियाजा छात्रों को ही भुगतना पड़ेगा अर्थात् ऐसे में गुणवत्तायुक्त शिक्षा की बात करना कोरी कल्पना है, क्योंकि गुणवत्तायुक्त शिक्षा के लिए योग्य व समर्पित शिक्षकों की जरूरत होती है।
7. पूर्व प्राथमिक शिक्षा को अधिनियम में स्थान नहीं दिया गया। जबकि देश के करोड़ों बच्चों को इस शिक्षा की आधारभूत जरूरत है।
8. देश में हजारों बच्चों को खतरनाक कार्यों और कारखानों में काम करना पड़ता है। अधिनियम में देश के भविष्य के इन बच्चों के पुनर्वास व शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं की गई है।
9. निजी व सरकारी विद्यालयों में भी इस अधिनियम में भेदभाव किया गया है निजी विद्यालयों को मान्यता के लिए अधिनियम में बताए गए दिशा–निर्देशों को पूरा करने पर मान्यता मिलेगी, जबकि सरकारी विद्यालयों को बिना शर्त मान्यता स्वतः मिल जाएगी।
10. विकलांग बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में अधिनियम मौन है। विकलांग बच्चों को शिक्षा उपलबध कराने सम्बन्धी अधिनियम में 'अक्षमता की परिभाषा' व्यक्ति अक्षमता अधिनियम 1995 के अनुसार

मानी गई है, जो कि 'राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, 1999' द्वारा बताई गई 'अक्षमता की परिभाषा' की शर्तों को पूरी नहीं करती।

सर्वाधिक चिंता का विषय यह है कि भारत में अनेक विषयों से सम्बन्धित उचित एवं श्रेष्ठ अधिनियम बनाए जाते हैं। लेकिन उनका प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित नहीं हो पाता। इस अधिनियम का क्रियान्वयन किस स्तर तक हो पाता है यह कहना कठिन है। समुचित दूरी पर विद्यालय की स्थापना एवं उसमें उचित अध्यापक और समुचित व्यवस्थाए उपलब्ध कराना ही एक कठिन कार्य है। इसके लिए अत्यधिक धन एवं अन्य संसाधनों की आवश्यका होगी। राज्य की सरकारें तदैव धनाभव का राग अलापती रहती है। यद्यपि धन के समबन्ध में केन्द्र सरकार 65 प्रतिशत खर्च उठाने को तैयार है, लेकिन फिर भी यह कैसे होगा? आदि प्रश्नों के उत्तर कहीं भी नहीं दिए गए हैं, आवश्यकता है अधिनियम को प्रभावी बनाने के लिए एक समुचित समयबद्व कार्ययोजना तैयार कर लागू करने की, जिससे इस अधिनियम का सकारात्मक परिणाम अतिशीघ्र आ सके।

शिक्षा का कार्य शैक्षिक प्रक्रिया को पूरा करना ही नही है अपितु बच्चों के जीवन के अनेक पहलू को जानने हेतु दिशा निर्देश देना भी हैं। शिक्षा से जहां एक ओर शारिरिक मानसिक तथा संवेगात्मक विकास होता जाता है वही दूसरी ओर उसमें सामाजिक भावना भी विकसित होती जाती है। परिणाम स्वरूप वह शनैः शनैः प्रौढ़ व्यक्तियों के उत्तरदायित्वों को सफलता पूर्वक निभाने के योग्य बन जाता है। इस प्रकार बालक के व्यवहार में वांछनीय परिवर्तन करने के लिये व्यवस्थित शिक्षा की परम आवश्यकता है। सच तो यह है कि शिक्षा से इतने लाभ है कि उनका वर्णन करना कठिन है। इस संदर्भ में यहाँ केवल इतना कह देना ही पर्याप्त होगा कि शिक्षा माता के समान पालन पोषण करती है पिता के समान उचित मार्ग दर्शन द्वारा अपने कार्यो में लगाती है तथा पत्नी की भांति सांसारिक चिंताओं को दूर करके प्रसन्नता प्रदान करती है। शिक्षा के द्वारा हमारी कीर्ति का प्रकाश चारो ओर फैलता है तथा शिक्षा ही हमारी समस्याओं को सुलझाती है एवं हमारे जीवन को सुसंस्कृत बनाती है।

बेगूसराय बिहार के 38 जिलों में से एक है और यह जिले का प्रशासनिक मुख्यालय भी है। यह जिला गंगा नदी के उत्तरी तट पर स्थित है और इसके क्षेत्रफल की बात करें तो यह 1,918 वर्ग किलोमीटर 741 वर्ग मील में फैला हुआ है। बेगूसराय मुंगेर डिवीजन का हिस्सा है और इसकी भौगोलिक स्थिति अक्षांश 25.15ट छ से 25. 45 ट छ और देशांतर 85.45 ट म् से 86.36 ट म् के बीच है। पहला फिट इंडिया स्कूल का दर्जा बेगूसराय जिले के मध्य विद्यालय बीहट के नाम जुड़ी है। विद्यालय में शारीरिक शिक्षा एवं अन्य गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर युवा एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे फिट इंडिया कैंपेन के तहत मध्य विद्यालय, बीहट को फिट इंडिया स्कूल चुना गया है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू एवं सचिव के हस्ताक्षर से जारी प्रमाण पत्र को प्रधानाध्यापक रंजन कुमार एवं किलकारी की कार्यक्रम संयोजक शिक्षिका अनुपमा सिंह विद्यालय परिवार को हस्तगत कराया। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि भारत सरकार द्वारा विगत 29 अगस्त 2019 से फिट इंडिया मूवमेंट शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य सक्रिय जीवन शैली अपनाने के लिए व्यवहार में लाए जाने योग्य परिवर्तन को प्रचारित करना है। यह तभी सफल होगा। जब प्रत्येक स्कूल का हरेक बच्चा सक्रिय रहकर एक गतिशील जीवनशैली अपनाएगा। उन्होंने अभिभावकों से अपील करते हुए कहा कि बच्चों को रोजाना नियमित रूप से कम से कम दो घंटे शारीरिक रूप से सक्रिय रखें। बेगूसराय का सांस्कृतिक महत्व भी बहुत है क्योंकि यह हिंदी के प्रसिद्ध कवि राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर और इतिहासकार प्रोफेसर राम सरन शर्मा का जन्मस्थान है। इसके अलावा, यह जिला बिहार की औद्योगिक और वित्तीय राजधानी के रूप में भी जाना जाता है, जो इसके आर्थिक और औद्योगिक विकास को दर्शाता है। इस जिले की भौगोलिक स्थिति और सांस्कृतिक धरोहर इसे बिहार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाते हैं।

निष्कर्ष : अनुशासन और समायोजन दोनों ही माध्यमिक विद्यालय के छात्रों की शैक्षणिक उपलब्धियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। व्यक्तिगत और कक्षा अनुशासन से एक सकारात्मक और उत्पादक अध्ययन माहौल का निर्माण होता है, जबकि शैक्षणिक और सामाजिक समायोजन से छात्रों को विभिन्न चुनौतियों के साथ सामंजस्य बिठाने में मदद मिलती है। इन दोनों कारकों का संतुलन छात्रों की शैक्षणिक सफलता के लिए अत्यंत आवश्यक है। अतः, शिक्षकों और विद्यालय प्रशासन को चाहिए कि वे छात्रों में अनुशासन और समायोजन की महत्वपूर्णता को समझाएं और उन्हें इसके लिए प्रोत्साहित करें। इसके साथ ही, छात्रों को भी इन गुणों को विकसित करने के लिए प्रयासरत रहना चाहिए ताकि वे अपने शैक्षणिक लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें।

आरटीई अधिनियम के कार्यान्वयन को पहले के स्पष्टीकरण के आधार पर लागू नहीं किया जा रहा है, क्योंकि

केवल कुछ प्रतिशत छात्रों, अभिभावकों, शिक्षकों और शिक्षकों को अधिनियम के बारे में पता है। यद्यपि आरटीई अधिनियम ने स्कूलों में नामांकित छात्रों की संख्या में वृद्धि की है, उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान करना अभी भी एक प्राथमिकता है।

शिक्षक, जो शिक्षा सेवाओं के प्रदाता हैं, को आरटीई अधिनियम को लागू करना आवश्यक है, जिसके बारे में उनके पास कोई स्पष्ट दिशानिर्देश नहीं था। आरटीई एक्ट के क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले शिक्षकों के लिए कोई स्पष्ट दिशा–निर्देश नहीं है।

इसका अधिनियम के कार्यान्वयन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अनुसंधान से यह पाया गया है कि शिक्षकों को प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है, शिक्षण के लिए आवश्यक सामग्री प्रदान की जाती है और उन्हें आरटीई अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए अपनी कक्षाओं को व्यवस्थित करने के तरीकों पर नियमित कौशल प्राप्त होता है। स्कूलों में नामांकन बढ़ने के साथ, शिक्षकों, प्रबंध समितियों को प्रशिक्षित करना महत्वपूर्ण है और स्कूलों के पास सभी बच्चों की जरूरतों को पूरा करने के लिए संसाधन हैं। आरटीई अधिनियम स्पष्ट रूप से सरकार की दृढ़ता बनाता है। भारत के हर बच्चे की शिक्षा प्रदान करने के लिए। अधिनियम के विभिन्न प्रावधान स्पष्ट रूप से इंगित करते हैं कि देश ने राष्ट्र परिवर्तन के लिए शिक्षा को अपने एजेंडे में रखा है। इसने बच्चों के लिए मूल्यवान शिक्षा प्राप्त करने के लिए कानूनी रूप से संरक्षित वातावरण तैयार किया है जो भविष्य के लिए लॉन्च पैड के रूप में कार्य कर सकता है। यह अधिनियम निश्चित रूप से साक्षरता दर में सुधार लाने और बच्चों को दुनिया में उनके सही स्थान की गारंटी देने पर एक बड़ा प्रभाव पैदा करेगा।

यह अधिनियम शिक्षा के क्षेत्र में उठाया गया सराहनीय कदम है शिक्षा से वंचित बच्चों को शिक्षित करना सभी लोकतांत्रिक सरकारों का दायित्व है इसे पूरा करने में यह एक कदम है। अधिनियम के अधीन बच्चों के शिक्षा के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय व राज्य कमीशन को भी विस्तृत अधिकार व राज्य कमीशन को भी विस्तृत अधिकार प्रदान किए गए है। बच्चों की शिक्षा सम्बन्धी किसी भी शिकायत के लिए अधिकारितायुक्त स्थानीय प्राधिकरण की भी व्यवस्था की गई है। बच्चों के व्यक्तित्व विकास के लिए प्राथमिक शिक्षा की जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका है, हमारे देश में बच्चों की इतनी संख्या को प्रभावित करने वाला यह एकमात्र अधिनियम है, निश्चित रूप से यह विधि का सार्थक साधन सिद्ध होगा, देश के प्रत्येक नागरिक का सहयोग प्राप्त करने के कारण यह अधिनियम अपने अपेक्षित लक्ष्य प्राप्त करने में अवश्य सफल होगा।

Author's Declaration:

I/We, the author(s)/co-author(s), declare that the entire content, views, analysis, and conclusions of this article are solely my/our own. I/We take full responsibility, individually and collectively, for any errors, omissions, ethical misconduct, copyright violations, plagiarism, defamation, misrepresentation, or any legal consequences arising now or in the future. The publisher, editors, and reviewers shall not be held responsible or liable in any way for any legal, ethical, financial, or reputational claims related to this article. All responsibility rests solely with the author(s)/co-author(s), jointly and severally. I/We further affirm that there is no conflict of interest financial, personal, academic, or professional regarding the subject, findings, or publication of this article.

सन्दर्भ ग्रंथ सूची–

1. जॉन डी0 मिलेट (1946) योजना एवं प्रबन्धन, ईगल वुड क्लिफ एन०जे० प्रेस्टिन हॉल, पृ0 14।
2. नायक, के0पी0 (1968) चौथी पंचवर्षीय योजना में शिक्षा बाम्बे निकेतन पब्लिकेशन्स, बाम्बे, पृ0 30–33।
3. बुच, पी०एम०), भारतीय स्कूलों की दशा एवं अनुकूल क्षमता एक पृच्छा, पी०एच०डी० (शिक्षाशास्त्र) एम०एस० यूनिवर्सिटी, बड़ौदा।
4. भट्ट, आर0ए0 (1970) चयनित माध्यमिक विद्यालयों के नवीकरण एवं परिवर्तन अपनाने, या नकराने का नैमात्तिक अध्ययन, एम0एड0 लघु शोध सरदार पटेल यूनिवर्सिटी बड़ौदा।
5. ओड़ ए0के0 (2017) शैक्षिक प्रशासन, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर, पृ0 227–230।
6. डी हान, अर्जुन (2005) सोशल पॉलिसी : टुवर्ड्स इनक्लूसिव इंस्टीट्यूशंस, यूनिवर्सिटी ऑफ गेलफ एंड डिपार्टमेंट फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, यूके।

7. विश्व बैंक सम्मेलन में पेपर सामाजिक नीति के नए मोर्चे : एक वैश्वीकरण दुनिया में विकास : 12–15 दिसंबर, 20051
8. रामचंद्रन, विमला (सं.) (2002) प्राथमिक शिक्षा यूरोपीय आयोग, नई दिल्ली में लिंग और सामाजिक समानता।
9. रामचंद्रन, विमला (सं.) (2004) प्राथमिक शिक्षा में लिंग और सामाजिक समानता : पहुंच के पदानुक्रम, सेज पब्लिकेशंस इंडिया प्रा लिमिटेड, नई दिल्ली।
10. मेहरोत्रा, संतोष (2006) भारत में प्रारंभिक शिक्षा का अर्थशास्त्र : सार्वजनिक वित्त की चुनौती, निजी प्रावधान और घरेलू लागत, सेज पब्लिकेशंस इंडिया प्रा लिमिटेड, नई दिल्ली।
11. मेहरोत्रा, संतोष (2006) भारत में जाति और मानव विकासः एक उत्तर दक्षिण विभाजन की व्याख्याष, सामाजिक कार्यः दक्षिण एशिया में एमडीजी प्राप्त करने के लिए सार्वभौमिक कवरेज और परिवर्तन की ओर, काठमांडू, नेपाल पर यूनिसेफ– यूएनआरआईएसडी कार्यशाला प्रस्तुत किया गया। 24–26 मई, 2006
12. प्रोब टीम (1999) इंडिया एजुकेशन रिपोर्ट, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, नई दिल्ली।
13. मोड रिसर्च (1995) एटिट्यूड स्टडी ऑन एलीमेंट्री एजुकेशन इन इंडिया– एक समेकित रिपोर्ट। यूनिसेफ.

Cite this Article

"चंदन कुमार", "शिक्षा का अधिकार अधिनियम और सामाजिक समावेशनः बेगूसराय में हितधारकों की दृष्टि से मूल्यांकन', ResearchPro International Multidisciplinary Journal (RPIMJ), ISSN: 3048-7331 (Online), Volume:1, Issue:2, October-December 2025.

Journal URL- https://www.researchprojournal.com/

DOI- 10.70650/rpimj.2025v1i2000020